

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,  
कमलेश पत्नी जयन्त कुमार जाति जाट निवारी कौकडोली हठी तहसील चरखीदादरी  
जिला भिवानी (हरियाणा) हाल नारसीरार तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर वनाम  
ओमप्रकाश वगैरह

मुकाम श्रीडूंगरगढ़  
तहसील चरखीदादरी  
जिला बीकानेर वनाम

U/S 212 RTA

राजस्व प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 146/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.07.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र कमलेश ने जरिये श्री ललित कुमार मारु अधिवक्ता मार्फत पेश किया। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया।</p> <p>बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 204/201 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 तादादी 7.0900 हैक्टेयर वाकरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।</p> <p>अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 03.09.2024 को आकर पेश करें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 03.09.2024 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़</p> <p>03.09.2024 पत्रावली पेश डी प्रार्थी ने पेश किया है। प्रार्थीगण ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को इकतरफा सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि खेत खसरा नम्बर 204/201 तादादी 0.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 146 तादादी 7.0900 हैक्टेयर वाकरोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आगामी तारीख पेशी तक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।</p> <p style="text-align: right;">(उमामितल) उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p> <p style="text-align: right;">03.09.2024</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p> 